संख्याः 320–सै.क– 02– 86(सैनिक कल्याण)/2002

प्रेषक

आर. के. वर्मा
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
उत्तरांचल देहरादून

समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 08 नवम्बर 2002

विषयः **सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की नियमावली/दिशा निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2001/सै.क/म.प्रशि./2002 दिनांक 01 अगस्त 2002 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुऐ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल में **"सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की नियमावली/दिशा निर्देश"** (संलग्न परिशिष्ट) को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 उक्त नियमावली/दिशा निर्देश तत्काल प्रभावी होगी।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय

(आर. के. वर्मा)
सचिव

संख्याः 320–सैक– 02–86(सैनिक कल्याण)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
2 निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल।
3 निजी सचिव मा. मंत्री सैनिक कल्याण उत्तरांचल।
4 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
5 मण्डलायुक्त पौडी गढवाल
6 जिलाधिकारी पौडी
7 उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी(हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि नियमावली की 1000 प्रतियॉं मुद्रित कर समाज(सैनिक) कल्याण अनुभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गरिमा सैंकली)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या 320–सै.क.–02–86(सैनिक कल्याण)/2002 दिनांक 08 नवम्बर 2002 का परिशिष्ट

सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द की नियमावली/दिशा निर्देशः

1 उद्देश्यः

महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के संचालन का मुख्य उद्देश्य सेवारत सैनिकों, आतंकवादी/सीमान्त झडपो, युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में शहीद सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत सैनिकों, की पत्नियों/उनकी आश्रित महिलाओं के पुनर्वास हेतु सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, दरी, कारपेट इत्यादि बानाने का प्रशिक्षण देकर उनके पुनर्वास में मदद करना है।

2 प्रशिक्षण हेतु अर्हतायेः

केन्द्र में प्रवेश निम्न वरीयता/अर्हता के आधार पर किया जायेगाः

(1) युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में शहीद सैनिकों की पत्नी/आश्रित पुत्री।
(2) आतंकवादी/सीमान्त झडपों में शहीद सैनिकों की पत्नी/आश्रित पुत्री।
(2) विकलांग पूर्व सैनिकों की पत्नी/आश्रित पुत्री।
(3) पूर्व सैनिकों की विधवाओं की आश्रित पुत्री (1 और 2 को छोड़कर)।
(4) अर्ध सैनिक बलों के सैनिकों की विधवाए जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो।
(5) सैनिक/पूर्व सैनिक विधवाओं की अविवाहित आश्रित पुत्री।
(6) विधवाओं की आश्रित विधवा पुत्री।
(7) सेवारत/पूर्व सैनिकों की पत्नी/आश्रित पुत्री
(8) पूर्व सैनिकों की तलाक शुदा या अलग रह रही पुत्री।
(9) उक्त के अतिरिक्त अन्य असहाय विधवायें।

3 प्रबन्ध समितिः

केन्द्र का प्रबन्ध, एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसके सदस्य, निम्न होंगे

(1)	जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
(2)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	सचिव
(3)	एक स्थानीय पूर्व सैनिक	सदस्य
(4)	दो महिला सदस्य,	सदस्य

(आयुक्त गढवाल मण्डल एवं जिलाधिकारी की धर्म पत्नी, या स्थानीय अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारी की पत्नी जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा)

4 अधिकार एवं जिम्मेदारीः

1 प्रबन्धन समिति के निर्णय के अनुसार समस्त प्रशासनिक अधिकार एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा निष्कासन सम्बन्धी अधिकार अध्यक्ष मे निहित होंगे।

2 सचिव समिति द्वारा लेखा जोखा(एकाउन्ट्स) का रख–रखाव किया जायेगा और त्रैमासिक लेखा विवरण प्रबन्ध समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा। वेतन इत्यादि का भुगतान प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणार्थियों को किये जाने का अधिकार प्रबन्ध समिति के सचिव को होगा। सचिव द्वारा, महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के कार्यालय व्यय मद में व्यय करने हेतु एक बार में रू 200/– प्रतिमाह व्यय करने का अधिकार होगा। अन्य व्यय प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जा सकेगा। समस्त लेखाओं का सम्प्रेषण अध्यक्ष, वार विडो एसोसियेशन, नई दिल्ली द्वारा नामित फर्म से ही किया जायेगा। वार्षिक लेखा विवरण तैयार कर संयुक्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

3 प्रबन्ध समिति के अन्य सदस्यगण केन्द्र का अपने स्तर से वीक्षण कर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाईयों का निराकरण हेतु सुझाव सचिव को प्रस्तुत करेगें। सचिव प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के समक्ष जब कभी आवश्यक हो इन बिन्दुओं को निवारण हेतु रखेंगें। सचिव के अलावा कोई भी सदस्य कर्मचारियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को आदेश पारित नही करेंगें।

5 केन्द्र के कर्मचारियों की नियुक्तिः

केन्द्र में कर्मचारियों की नियुक्तिं अग्रवर्णित शर्तो के अनुसार की जायेगी

1 सभी नियुक्तियॅं पूर्ण रूप से अस्थाई एवं योजना चलने तक नियत वेतन पर होगी(नियत वेतन शासन द्वारा अनुमोदित होगा)।

2 केन्द्र में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों को ही दिया जायेगा।

3 केन्द्र के प्रशिक्षकों एवं लिपिक की नियुक्ति उनकी योग्यता एवं शैक्षिक अर्हता के आधार पर मैरिट के अनुसार की जायेगी। इस हेतु आयु सीमा 30 से 50 वर्ष के बीच होगी।

4 चौकीदार कम चपरासी की नियुक्ति पूर्व सैनिक/उनके आश्रित जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा जिसकी आयु 45 से 55 वर्ष के बीच हो की जायेगी नियुक्ति हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की संस्तुति आवश्यक होगी।

6 अवकाश

(क) प्रशिक्षकों/कर्मचारियों को निम्नानुसार अवकाश देय होगा:

1 वार्षिक अवकाश – चौकीदार के अलावा केन्द्र मे गर्मियों/सर्दियों के अवकाश के दौरान

2 आकस्मिक अवकाश – प्रतिवर्ष 14 दिन(नियमानुसार)।

(ख) केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों को निम्नानुसार अवकाश देय होगा:

वर्ष में 15 दिन का अवकाश देय होगा। एक समय पर अधिकतम 10 दिन का अवकाश उनके अभिभावक के लिखित आवेदन पर स्वीकृत किया जायेगा।

7 केन्द्र की क्षमता:

प्रतिवर्ष 40 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थी स्वयं का उत्पादन केन्द्र या स्वतः रोजगार कर सकते है।

8 प्रशिक्षकों/कर्मचारियों/प्रशिक्षणार्थियों का आचरण:

प्रशिक्षकों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण केन्द्र के नियमों एवं अध्यक्ष द्वारा दिन प्रतिदिन पारित किये गये आदेशों का भी अनुपालन करना होगा। नियमों का उलघंन करने वाले प्रशिक्षकों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षणार्थियों के साथ अनुशासनुमात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा उन्हें सेवा/प्रशिक्षण से भी बर्खारत किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों, कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों का आचरण/चरित्र उत्तम होना आवश्यक है। लगातार अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण लेने की अनुमति नही दी जायेगी और उनको प्रदान की गई छात्रवृति भी वापरा ले ली जायेगी।

9 मिलने का समय:

प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही प्रशिक्षणार्थियों से अभिभवकों/नजदीकी रिश्तेदारों को, दिये गये समय के अनुसार व सचिव/वार्डन के आदेशों के तहत ही मिलने दिया जायेगा ।

आर. के. वर्मा
सचिव
समा.(सैनिक) कल्याण